राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.20(2)गृह–9/88 जयपुर, दिनांकः 11–07–2011

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में चिकित्सको द्वारा सामूहिक अवकाश लेने एवं त्याग पत्र दिये जाने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप जनसमुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है। यह आदेश आगामी 03 माह तक प्रभावी रहेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—ह०—
(ओ.पी.यादव)
शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज/पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना आज ही दिनांक को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
12. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि व्यापाक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से सभी समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, 11/7/11
गृह (सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन) विभाग

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.20(2)गृह–9/88 जयपुर, दिनांकः 11–07–11

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निम्न आदेश जारी किया जाना लोकहित में आवश्यक है।

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह–9/88 दिनांक 11 जुलाई, 2011 द्वारा निम्न सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के प्रयोजन के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में सामूहिक अवकाश लेने एवं त्याग पत्र दिये जाने को एतद्द्वारा प्रतिषेध करती है। यह आदेश आगामी 03 माह तक प्रभावी रहेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd—
(ओ.पी.यादव)
शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज/पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना आज ही दिनांक को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
12. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि व्यापाक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से सभी समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, 11/7/11
गृह (सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन) विभाग